

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 27, 2005 (KRTK. 5, 1927 SAKA)

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 27 अक्टूबर, 2005

संख्या सी सी पी (एन सी आर) इ डब्ल्यू / जी जी एन 23/सी ए/बी/2005/1677.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये, गांव शिकोहपुर, जिला गुड़गांव के जैन मन्दिर (सिद्धान्त तीर्थ क्षेत्र) के ईर्द गिर्द दो किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160), जिला गुड़गांव के जैन मन्दिर (सिद्धान्त तीर्थ क्षेत्र) के ईर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 1395/2005, दिनांक 16 जून, 2005 के साथ पढ़ा जायें।

उत्तर: बिन्दु 'ए' अर्थात् गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 776 के उत्तर-पश्चिमी कोने से आरम्भ करते हुये पूर्व की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, जोकि गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 795 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व: तत्पश्चात् दक्षिण की तरफ बिन्दु 'बी' से गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की आयत संख्या 795 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ इसके दक्षिण-पूर्व कोने तक, फिर पश्चिम की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 795 तथा 793 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 793 के दक्षिण-पश्चिम कोने तक, फिर दक्षिण की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 791 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जोकि गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 791 का उत्तर-पूर्व कोना है।

दक्षिण: तत्पश्चात् पश्चिम की तरफ बिन्दु 'सी' से गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 791 तथा 790 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 790 के दक्षिण-पश्चिम कोने तक, दक्षिण की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 1670) की खसरा संख्या 784 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ इसके दक्षिण-पूर्व कोने तक, फिर पश्चिम की तरफ खसरा संख्या 784 तथा 785 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 785 के दक्षिण-पश्चिम कोने तक, फिर दक्षिण की तरफ खसरा संख्या 779, 780 तथा 781 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 781 के उत्तर-पूर्व कोने तक, फिर पश्चिम की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 781 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ इसके दक्षिण-पश्चिम कोने तक, फिर दक्षिण की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 918 तथा 917 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 917 के दक्षिण-पूर्व कोने तक, फिर पश्चिम की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 917 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जोकि इसी गांव खसरा संख्या 917 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम: तत्पश्चात् उत्तर की तरफ बिन्दु 'डी' से गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 917 तथा 918 की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 918 के उत्तर-पश्चिम कोने तक, फिर पूर्व की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 918 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 775 की पश्चिमी सीमा से मिलती है, फिर उत्तर की तरफ गांव शिकोहपुर (हदबस्त संख्या 160) की खसरा संख्या 775 तथा 776 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA), OCT. 27, 2005 (KRTK 5, 1927 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 27th October, 2005

No. CCP(NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1677. - In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometers around Jain Mandir (Sidhant Teertha Kshetra) of village Shikohpur, District Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the controlled area around Jain Mandir (Sidhant Teertha Kshetra) of Village Shikohpur, (Hadbast No. 160), District Gurgaon to be read with Drawing No. DTP(G)1395/2005, dated the 16th June, 2005.

- North* : Starting from point 'A' i.e. North-West corner of Khasra No.776 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) towards East along the revenue boundary of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto point 'B' i.e. North-East corner of Khasra No.795 of Village Shikohpur (Hadbast No.160).
- East* : Thence from point 'B' towards South along Eastern boundary of Khasra No.795 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto its South-East corner, thence moving towards West along Southern boundary of Khasra Nos.795 and 793 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto South-West corner of Khasra No.793 of Village Shikohpur (Hadbast No.160), thence moving towards South along Eastern boundary of Khasra No.791 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto point 'C' i.e. is South-East corner of Khasra No.791 of Village Shikohpur (Hadbast No.160).
- South* : Thence from point 'C' towards West along Southern boundaries of Khasra No.791 and 790 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto South-West corner of Khasra Nos.790 of Village Shikohpur (Hadbast No.160), thence towards South along Eastern boundary of Khasra No.784 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto its South-East corner, thence towards West along Southern boundary of Khasra No.784 and 785 upto South-West corner of Khasra No.785 of Village Shikohpur (Hadbast No.160), thence towards South along Eastern boundary of Khasra Nos.779, 780 and 781 upto South-East corner of Khasra No.781 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto its South-West corner, thence towards South along Eastern boundary of Khasra Nos.918 and 917 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto South-East corner of Khasra No.917 of Village Shikohpur (Hadbast No.160), thence towards West along Southern boundary of Khasra No.917 of Village Shikohpur (Hadbast No.160), thence towards West along Southern boundary of Khasra No. 970 of Village Shikohpur (Hadbast No. 160) upto point 'D' i.e., South-West corner of Khasra No. 917 of the same village.
- West* : Thence from point 'D' towards North along Western revenue boundary of Khasra Nos.917 and 918 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto North-West corner of Khasra No.918 of Village Shikohpur (Hadbast No.160), thence towards East along the Northern boundary of Khasra No.918 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto the point where it meets the Western boundary of Khasra No.775 of village Shikohpur (Hadbast No.160), thence towards North along Western boundaries of Khasra Nos.775 and 776 of Village Shikohpur (Hadbast No.160) upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTALA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

